

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-364/2019

सचिन पुत्र श्री अमरचंद जाति जाट निवासी 12 एफ.टी.पी.ए ढाणी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।  
वादी

बनाम

1. सुरजी देवी पत्नी अमरचन्द
2. अंकिता पुत्री अमरचन्द
3. कमलादेवी पत्नी सतपाल
4. आजाद पुत्र सतपाल
5. लोकेश भाखर पुत्र सतपाल
6. सुलोचना पुत्री हेमराज पत्नी प्रेमचन्द जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

जाति जाट निवासीयान 12 एफटीपी ए तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी सचिन व प्रतिवादीया सं० 1 सुरजीदेवी प्रतिवादीयासं० 2 अंकिता को ब०हि०ब० चकनं० 12 एफटीपी ए के प०न० 185/244 मु० 29 किलानं० 2 ता 4, 6 ता 9, 11 ता 18, 23 ता 25, प०न० 185/245 मु० 32 किलानं० 3/1/.228, 3/2/.025 है० रास्ता, 4/1/.228, 4/2/.025 है० रास्ता, 5/1/.228, 5/2/.025 है०, 6,7,8, 13 ता 17, चकनं० 2 डीपीएम के प०न० 185/243 मु० 63 किलानं० 22,23,24, ख. प्रतिवादीसं० 3 कमलादेवी, प्रतिवादी सं० 4 आजाद, प्रतिवादी सं० 5 लोकेश भाखर को ब०हि०ब० चकनं० 12 एफटीपी ए प०न० 186/244 मु० 28 किलानं० 1, 9 ता 13, 18 ता 24 कुल 3.289 है०, प०न० 186/245 मु० 33 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 रास्ता, 2/1/.228, 3/1/.228, 3/2/.025 है० रास्ता, 4/1/.228 है०, 4/2/.025 है० रास्ता, 5/1/.203, 5/2/.025 है० खाला, 5/3/.025 है० रास्ता, 6/1/.228, 6/2/.025 खाला, 7 ता 14, 15/1/.228, 15/2/.025 है० खाला, 17 ता 20 कुल 4.807 है० ग.वादी व प्रतिवादीसं० 1 ता 5 ब०हि०ब० चकनं० 12 एफटीपी ए के प०न० 185/244 मु० 29 किलानं० 5/.253 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा चकनं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 112 से अनिता के स्थान पर अंकिता नाम अंकित किया जाकर नाबालिग शब्द हटाये जाने तथा चकनं० 2 डीपीएम के खाता सं० 164 से व चकनं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 127 से हेमराज व चकनं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 97 से श्योपति देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
टिब्बी

37

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...०१/११/१९...को  
जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी